वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता महा प्रबंधक एन.एम.डी.सी लिमिटेड बैलाडीला लौह अयस्क खान बचेली काम्पलेक्स के द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत ग्राम बैलाडीला, डिपाजिट नंबर—4 में आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1826, 1832,1833 1834, 1841, 1842, 1885 एवं 1886 में रकबा 570.100 हे. एवं वन कक्ष क्रमांक 1826(676), 1822(689), 1824(690), 1823(691) रकबा 95.130 हे. कुल 665.230 हे. वन भूमि लौह अयस्क परियोजना के अधोसंरचनात्मक विकास के लिये प्रस्ताव में दर्शाये निम्न 3 शर्तो की पूर्ति उपरांत व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

1. इस दुर्गम क्षेत्र में अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए एन.एम.डी.सी एक 4 wheel वाहन (SUV) आवेदक संस्थान प्रदाय करें जिससे मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य निरीक्षण करने की सुगमता हो सके।
2. एन.एम.डी.सी लिमिटेड के बैलाडीला लौह अयस्क खान, निक्षेप क्रमांक—4 के प्रस्तावित क्षेत्र के आस—पास उत्खनन कार्य में लगने वाले श्रमिकों के दबाव एवं अतिक्रमण से वनों को बचाने हेतु रू. 1.64 करोड़ की योजना प्रस्तुत की गई है जिसकी स्वीकृति की राशि आवेदक संस्थान प्रदाय करें।
3. मेसर्स एन.एम.डी.सी लिमिटेड द्वारा "ट्री फर्न" क्षेत्र पृथक कर सुरक्षा हेतु 1.58 करोड़ की योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है जिसकी राशि भी प्रदाय करेंगे।

   उक्त दोनों राशियां वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा वन मंडल के पी.डी खाते में जमा की जानी होगी।
4. आवेदित क्षेत्र में खड़े 60 से. मी कम से कम के वृक्ष है उनको Tree Transplanter से एन. एम.डी.सी अन्य रिक्त क्षेत्र में प्रतिस्थापित करें।

   इस बाबद एन.एम.डी.सी उक्त मशीन क्रय करने की कार्यवाही तत्काल करें। यह मशीन इनके अन्य खदानों में भी काम में आवेगी। उक्त की पालना उपरांत ही अंतिम चरण स्वीकृति की जावेगी।

तदनुसार भारत सरकार स्वीकृति में उपरोक्त चारो शर्तो का उल्लेख करने का कष्ट करें।

दिनांक: 24/05/2016
स्थान: रायपुर

(बी.एल. सरन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर